



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252719
CG-DL-E-07032024-252719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1054]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945

No. 1054]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का.आ. 1105(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1521(अ), दिनांकित 24 जून, 2010 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:—

86	उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर से कबरई खंड	किमी 7.43 से किमी 130.100
----	---	---------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/14/2023-पी एंड एम(पार्ट)]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1521(अ), दिनांकित 24 जून, 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1105(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of

the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1521(E), dated the 24th June, 2010, namely:—

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:—

86	Kanpur to Kabrai section in the state of Uttar Pradesh	From km. 7.43 to km. 130.100
----	--	------------------------------

[F. No. NH-14013/14/2023-P&M(Pt.)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1521(E), dated the 24th June, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का.आ. 1106(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज/लंबाई किमी में (3)
नया रारा-34 (पुराना रारा-86 और पुराने रारा-76 का ओवरलैप्ड खंड)	कानपुर – कबरई –उ. प्र. / म. प्र. सीमा खंड [हमीरपुर चुंगी के निकट महोबा से पुराने रारा-76 का कबरई तक ओवरलैप्ड खंड (पुराने रारा-76 का किमी 162.500 से किमी 178.000 तक)] (उत्तर प्रदेश राज्य में)	किमी 7.430 से किमी 167.600

[फा. सं. एनएच-14013/14/2023-पी ऐंड एम(पार्ट)]

अभय जैन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1106(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ length in km (3)
New NH-34 (old NH-86 and overlapped section of old NH-76)	Kanpur - Kabrai - UP/ MP border section [including Mahoba near Hamirpur Chungi to Kabrai section overlapped with old NH-76 (Km 162.500 to Km 178.000 of old NH-76)] (In the state of Uttar Pradesh)	Km. 7.430 to Km. 167.600

[F. No. NH-14013/14/2023-P&M(Pt.)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का.आ. 1107(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 24 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

(1)	(2)	(3)
"24	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं. 11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 24ए, सं. 27 [किमी 0.000 से किमी 46.004 (रारा 27 का नया संरेखण) इलाहाबाद से उ. प्र./म. प्र. सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, सं. 28सी [किमी 00.000 से किमी 93.000 (बाराबंकी - जरवाल - बहराइच - रुपईडिहा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 29 {किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी - गोरखपुर खंड) और गोरखपुर बाइपास तक को छोड़कर}, सं. 56 {किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ - सुल्तानपुर खंड) तक को छोड़कर}, सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 307 (रारा सं. 72ए का विस्तार) [किमी 0.00 से किमी 17.900 (छुटमलपुर-गणेशपुर खंड) और किमी 17.900 से किमी 34.900 (गणेशपुर-उ.प्र. उत्तराखंड सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 74 [किमी 30.00 से किमी 132.00 (भागवाल के निकट उत्तराखंड/उ. प्र. सीमा से जसपुर के निकट उ. प्र./उत्तराखंड सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर] और किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर-सितारगंज-बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी खंड) और किमी 1.900 से किमी 6.500 और किमी 12.000 से 24.000 और किमी 33.390 से किमी 40.225 और किमी 41.350 से किमी 43.240 और किमी 44.432 से किमी 82.100 (झांसी - नौगांव खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 76 [किमी 162.500 से किमी 178.000 (हमीरपुर चुंगी के निकट महोबा से रारा-86 का कबरई तक ओवरलैण्ड खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 86 [किमी 7.430 से किमी 167.600 (कानपुर - कबरई -उ. प्र. / म. प्र. सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 414.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91ए, सं. 92, सं. 93 [किमी 0.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 96 (नई सं. 330) [किमी 95.100 से किमी 82.000 (कटका मोड़ - सुल्तानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 235 {किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ-हापुड खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 124डी, नई रारा सं. 321, नई रारा सं. 321जी, नई रारा सं. 727ए, नई रारा सं. 727एए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 730ए, नई रारा सं. 730एच, नई रारा सं. 731एजी, नई रारा सं. 931 और नई रारा सं. 931ए, नई रारा सं. 330बी, नई रारा सं. 334ए, नई रारा सं. 334बी [किमी 0+000 से किमी 48+260 (डिजाइन चैनैज) (मेरठ - हरियाणा सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 334डीडी, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए, नई रारा सं. 731ए, नई रारा सं. 124सी, नई रारा सं. 727बी, नई रारा सं. 727एच, नई रारा सं. 727जी, नई रारा सं. 328, नई रारा सं. 328ए, नई रारा सं. 330डी [किमी 38.853 से किमी 123.330 (प्रतापनगर-हरदोई-कन्नौज खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं.	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार"

	730बी, नई रारा सं. 731बी, नई रारा सं. 731के, नई रारा सं. 727बीबी, नई रारा सं. 730एस, नई रारा सं. 730सी, नई रारा सं. 135सी और नई रारा सं. 227बी के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	
--	---	--

[फा. सं. एनएच-14013/14/2023-पी एंड एम(पार्ट)]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-808(अ), तारीख 21 फरवरी, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1107(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Table

(1)	(2)	(3)
“24	So much of National Highways No.2A, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)], No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 to Km. 46.004 (new alignment of NH 27) Allahabad to UP/MP Border Section)], No. 28B, No. 28C [excluding from Km. 00.000 to Km 93.000 (Barabanki-Jarwal- Bahariach-Rupaidiha Section)], No. 29 {excluding from Km. 2.225 to Km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur Section) and Gorakhpur Bypass}, No.56 [excluding from Km. 11.500 to Km. 134.700 (LucknowSultanpur Section)], No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (MeerutMuzaffarnagar - Uttar Pradesh / Uttarakhand Border)], new NH No. 307 (ext. NH No. 72A) [excluding from km 0.00 to km 17.900 (Chutamalpur Ganeshpur Section) and from km 17.900 to km 34.900(Ganeshpur- U.P. Uttarakhand Border Section)], No. 74 [excluding from Km 30.00 to km 132.00 (Uttarakhand/UP Border near Bhaguwala to UP/Uttarakhand Border near Jaspur Section) and excluding from Km. 264.000 to Km. 342.000 (Kashipur-SitarganjBareilly Section)], No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border to Jhansi) and from km. 1.900 to km.6.500 and from km. 12.000 to 24.000 and from km. 33.390 to km. 40.225 and from km. 41.350 to km. 43.240 and from km. 44.432 to km. 82.100 (Jhansi[1]Nowgaon Section)], No.76 [excluding From Km 162.500 to Km 178.000 (Mahoba near Hamirpur Chungi to Kabrai section overlapped with NH-86), No.86 [excluding From km. 7.430 to km. 167.600 (Kanpur - Kabrai - UP/ MP border section)], No. 91 [excluding from km. 23.600 to km. 414.000 (Ghaziabad- Aligarh- Kanpur Section)], No.91A, No. 92, No. 93 [excluding from km. 0.00 to km. 232.000 (Agra- Aligarh[1]Moradabad Section)], No. 96 (new No. 330) [excluding from Km. 95.100 to Km 82.000 (Katka More- Sultanpur Section)], No. 235 [excluding from Km. 7.469 to Km. 66.482 (Meerut- Hapur Section)], new NH No. 124D, new NH No. 321, new NH No. 321G, new NH No. 727A, new NH No. 727AA, new NH No. 730, new NH No. 730A, new NH No. 730H, new NH No. 731AG New NH No. 931, and New NH No. 931A, new NH No. 330B, new NH No. 334A, New NH No. 334B[Excluding from Km 0+000 to Km 48+260(Design Chainage) (Meerut-Haryana Border section)], new NH No. 334DD, new NH No. 219, new NH No. 227A new NH No. 731A, new NH No. 124C, new NH	State Government of Uttar Pradesh”

No. 727B, new NH No. 727H, new NH No. 727G, new NH No. 328, new NH No. 328A, new NH No. 330D[Excluding from km 38.853 to km 123.330 (Pratapnagar- Hardoi- Kannauj section)], new NH No. 730B, new NH No. 731B , new NH No. 731K, new NH No. 727BB, new NH No. 730S, new NH No. 730C, new NH No. 135C and new NH No. 227B as are situated within the State of Uttar Pradesh.	
---	--

[F. No. NH-14013/14/2023-P&M(Pt.)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 808 (E), dated the 21st February,, 2024.